teenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Subordinate Legislation.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

REPORTS OF STUDY TOURS OF STUDY GROUPS I AND II

SHRI SURAJ BHAN (Ambala): I beg to lay on the Table the following Reports of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:—

(1) Report of Study tour of Study Group I of the Committee on its visit to Calcutta, Tatanagar, Bhubaneswar, Paradip, Puri and Visakhapatnam during September, 1978.

(2) Report of Study Tour of Study Group I of the Committee on its visit to Calcutta and Andaman and Nicobar Islands during January, 1979.

(3) Report of Study Tour of Study Group II of the Committee on its visit to Gauhati, Silchar, Aizawl, Lumding, Kohima and Tinsukia during January, 1979.

(4) Report of Study Tour of Study Group I of the Committee on its visit to Baster, Bailadila, Koraput and Bhilai during February, 1979.

(5) Report of Study Tour of Study Group II of the Committee on its visit to Kota, Ratlam, Dhar (Mandav), Alirajpur, Dahod and Vadodara during February, 1979.

12.06 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) EXTENSION OF PERIOD OF SPECIAL FACILITIES PROVEDED FOR THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख करता हूं :

"अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण के लिए पीछे यह मंशा थी कि चूंकि ये जातियां सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी दृष्टिकोणों से पिछड़ी हैं अत: समाज के अन्य समूहों के बराबरी में लाने हेतु जब तक विशेष अवसर नहीं दिया जाएगा तब तक ये जातियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ी रह जायेंगी।

आजादी के 31 वर्षों के बाद भी जीवन के अन्य क्षेत्रों की बात तो दूर रही सरकारी सेवाओं में भी इनका स्थान नगण्य है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कुल संख्या मिलाकर मूल आबादी का 25 प्रतिशत से भी ज्यादा है, लेकिन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की सेवाओं में तो नगण्य है ही,, यहां तक कि चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में भी उनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। फलस्वरूप देश का एक चौथाई से ज्यादा आबादी वाला हरिजन आदिवासी राष्ट्रीय मुख्य धारा से कटा है। गरीब घर में भी यदि कोई बीमार सदस्य रहता है तो परिवार के दूसरे सदस्य भूखें रह कर भी बीमार सदस्य के लिए फल आदि की व्यवस्था करते हैं। देश का एक चौथाई हिस्सा सदियों से मरणासन्न अवस्था में है। आरक्षण के माध्यम से पिछले 31 वर्षों में जितनी जागृति आनी चाहिये थी अफसरशाही एवं उदार दृष्टिकोण के अभाव के कारण उतनी जागृति तो नहीं आ सकी। फिर भी सदियों से शोषित पीड़ित लोग जग रहे हैं। उनके मन में आशा की किरण फूट रही है तथा वें अपने को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हालत में यदि उनका आरक्षण खत्म कर दिया गया और मिलने वाली सुविधा से उन्हें वंचित कर दिया गया तो उन शोषित पीड़ित समुदायों के प्रति